

①

Dr. HONEY SINHA
(Assistant Professor)

10/11/2023

Dept. of Commerce
Subj: - Business Organisation (Sub)
Paper: - 1st
SNSRKE College, Sahayra

Exam Part: - 1st

* Introduction *

** Meaning of A Company ** (कम्पनी का अर्थ)

संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी लाभ के लिए बनाई गई एक ऐतिहासिक संस्था है, जिसकी पूँजी हस्तान्तरणीय अंशों में विभाजित होती है। (अर्थात् इसमें अंश साधारणतया खरीदे तथा बेचे जा सकते हैं)। सदस्यों का उत्तरदायित्व साधारणतया सीमित होता है। इसका अस्तित्व स्थायी होता है तथा यह विधान से निर्मित व्यक्ति है, जिसका व्यवसाय एक सार्व मूह (Common Seal) द्वारा होता है। कोई भी व्यक्ति कम्पनी के ऊपर तथा कम्पनी किसी व्यक्ति के ऊपर अधिक योग्य चला सकती है।

* Definitions of A Company * (कम्पनी की परिभाषाएँ)

व्यवसायिक स्वामित्व के अन्य रूपों की भाँति (अर्थात् एककी व्यापारी एवं साझेदारी की भाँति) कम्पनी की भी विभिन्न परिभाषाएँ दी गई हैं। अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से हम इन परिभाषाओं को निम्न तीन भाँतों में विभाजित कर सकते हैं :-

1) सिद्ध न्यायाधीशों द्वारा

2) प्रमुख विद्वानों द्वारा तथा

3) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा दी गई परिभाषाएँ

1) सिद्ध न्यायाधीशों द्वारा दी गई परिभाषाएँ :-

* न्यायाधीश जेम्स के अनुसार, "एक कम्पनी विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह है, जिसका संगठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। (यह अपूर्ण है)"

* न्यायधीन मार्शल के अनुसार, "संयुक्त पूंजी कम्पनी एक कृत्रिम, अदृश्य तथा अमूर्त संस्था है, जिसका अस्तित्व वैज्ञानिक होता है और जो विधान द्वारा निर्मित होती है" (यह परिभाषा सही प्रतीत होती है)

(i) समुक्त विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएँ :-

* किम्बाल एवं किम्बाल के शब्दों में, "मिश्रम (अमेरिका में कम्पनी को मिश्रम कहते हैं) प्रकृति से ही एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कानूनी अधिनियम द्वारा रचा गया है या अधिष्ठात किया गया है।"

* पो हर्ने के अनुसार, "कम्पनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका उसके सदस्यों से पृथक् स्थायी अस्तित्व होता है और जिसके पास सार्वभुमिका (Seal) होती है।"

(ii) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत :-

* "कम्पनी का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित तथा रजिस्ट्री की हुई कम्पनी से है या किसी विद्यमान कम्पनी से है जिसकी परिभाषा वाक्य (ii) में दी गई है।"

* "विद्यमान कम्पनी का आशय किसी ऐसी कम्पनी से है जिसका निर्माण तथा रजिस्ट्री पिछले कम्पनी अधिनियम में से किसी के अधीन की गई हो।"

* संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी के लक्षण या विशेषताएँ *

(Characteristics or Essentials of A Joint Stock Company)

परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कम्पनी में निम्नलिखित लक्षण या मुख्य विशेषताएँ होती हैं —

- (i) स्थायी अथवा शाश्वत अस्तित्व अथवा उत्तराधिकार
(Perpetual Existence or Succession)
- (ii) विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति
(An Artificial person created by Law)
- (iii) सीमित दायित्व
(Limited Liability)
- (iv) स्वामित्व का स्वतन्त्र से पृथक् होना
(Separation of Ownership from Management)
- (v) अंशधारी एजेंट नहीं
(Shareholders not Agents)
- (vi) पृथक् वैधानिक अस्तित्व
(Separate Legal Entity)
- (vii) प्रतिनिधि व्यवस्था
(Representative Management)
- (viii) सदस्यों की संख्या
(Number of Members)
- (ix) सम्पत्ति पर स्वामित्व
(Ownership on property)
- (x) सार्वमुद्रा
(Common Seal)
- (xi) कार्य-क्षेत्र की नियमित सीमाएँ
(Regulations)
- (xii) अंशों की हस्तान्तरणीयता
(Transferability of Shares)
- (xiii) लाभ के लिए ऐच्छिक संस्था
(Voluntary Association for profits)
- (xiv) अधिनियम के अंतर्गत ही स्थापना एवं समापन
(Establishment and Winding-up Under Law)
- (xv) कंपनी एक नागरिक नहीं है
(Company is not a citizen)

The end

Dr. HONEY SINHA
Dept. of Commerce
SNISRKS College, SAHARSA